न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुरजा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्या– 454/2021

राज्य——————————बनाम———————— विनय आदि।

आरोप

मै गुलाम मुस्तफा, अपर सत्र न्यायाधीश खुरजा जिला बुलन्दशहर आप विनय व रामअवतार पर निम्न वैकल्पिक आरोप लगाता हूँः–

वैकल्पिक आरोप

यह कि दिनॉक 18.10.2020 समय अदम तहरीर स्थान ग्राम नगला दलपतपुर अन्तर्गत क्षेत्र थाना पहासू जिला बुलन्दशहर में आप लोगों ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मनोज की बहन रमा उर्फ राधा को फांसी के फन्दे पर लटका दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया जो धारा **302/34 भा0दं0सं0** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप मे आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(गुलाम मुस्तफा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)

दिनांकः 21.10.2023

आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया जिससे उसने इंकार किया व विचारण की मांग की।

(गुलाम मुस्तफा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)

दिनांकः 21.10.2023

राजकुमार शर्मा–आशुलिपिक।

Digitally signed by GULAM MUSTAFA
Date: 2023.10.21 15:06:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुरजा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्या– 454/2021

राज्य————————————बनाम————————— विनय आदि।

अपराध संख्या : 339/2021

धारा : 302/34 भा0दं0सं0 (वैकल्पिक आरोप)

थाना : पहासू, जिला बुलन्दशहर।

<u>आदेश</u>

मुकदमा पेश हुआ। अभियुक्तगध उपस्थित है।

मैने आरोप के बिन्दु पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियुक्त पर लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह भी बताया कि वह अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करते है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से मेरी राय में अभियुक्तगण पर वैकल्पिक आरोप जुर्म अन्तर्गत धारा 302/34 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है। अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व में दिनांक 25.02.2021 को भा0दं0सं0 की धारा 498ए, 304बी व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप विरचित किया जा चुका है।

तद्नुसार अभियुक्तगण विनय व रामअवतार पर जुर्म अन्तर्गत धारा 302/34 भा0दं0सं0 का वैकल्पिक आरोप पृथक प्रपत्र पर विरचित किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 20.11.2023 को पेश हो।

(गुलाम मुस्तफा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)

दिनांकः 21.10.2023